मध्यप्रदेश शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक/एफ-1/ 16512 भोपाल, दिनांक 18/11/2022

प्रति,

कलेक्टर /मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
जिला - श्योपुर, सीधी, उमरिया, डिण्डोरी, शहडोल, अनूपपुर, नर्मदापुरम, धार, झाबुआ, रतलाम, अलिराजपुर, खरगोन, बडवानी, खण्डवा, बुरहानपुर, बैतूल, सिवनी, मण्डला, बालाघाट एवं छिंदवाडा म0प्र0।

विषय:- मध्यप्रदेश पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम, 2022 - (पेसा नियम) संबंधी विशेष ग्राम सभाओं के आयोजन बावत।

--00--

प्रदेश में दिनांक 15 नवम्बर 2022 से मध्यप्रदेश पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम, 2022 लागू किये गये हैं। इन नियमों को मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 589 दिनांक 15 नवम्बर 2022 द्वारा प्रकाशित किया गया है। यह नियम प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्र में 20 जिलों, 89 विकास खण्डों और उनसे संबंधित 5210 ग्राम पंचायतों तथा लगभग 11757 ग्रामों में लागू होगें। इन नियमों को बेवसाईट www.govtpressmp.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

2/ मध्यप्रदेश पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम, 2022 को त्वरित गति से क्रियान्वित करना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। इन नियमों के क्रियान्वयन हेतु पेसा ग्राम सभा के गठन की प्रक्रिया को ऊपर उल्लेखित 11757 ग्रामों तक पहुंचाने तथा जल, जंगल, जमीन, श्रम तथा स्थानीय परंपराओं, रूढ़ियों और संस्कृति संबंधी नियमों के संबंध में जानकारी देने हेतु विशेष जनसंवाद किया जाना है। अत: इस हेतु दिनांक 20 नवम्बर 2022 से 03 दिसम्बर 2022 तक विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जावे।

3/ ग्राम सभा का एजेण्डा निम्नानुसार होगा :-

अ. पेसा नियमों के प्रमुख बिन्दुओं पर चर्चा।

ब. दिनांक 04 दिसम्बर 2022 को टंट्या मामा के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भागीदारी पर चर्चा।

4/ ग्राम सभाओं का अनुश्रवण -

जिले में विशेष ग्राम सभाओं के आयोजन का समुचित अनुश्रवण किया जावे। अनुश्रवण हेतु प्रपत्र संलग्न है, जिसमें जानकारी संधारित की जावे एवं एक प्रति पंचायत राज संचालनालय को उपलब्ध कराई जावे।

अतः कृपया उपरोक्तानुसार विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन करना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

मलय 18/11/2022

(मलय श्रीवास्तव)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ. क्रमांक/एफ-1/16513 भोपाल, दिनांक 18/11/2022

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. उप सचिव, म0प्र0 शासन, मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/ वन/ गृह/ जल संसाधन/ महिला एवं बाल विकास/ किसान कल्याण तथा कृषि विकास/ मत्स्यपालन/ जनजातीय कार्य/ अनुसूचित जाति कल्याण/ राजस्व/ वाणिज्य कर/ श्रम/ खनिज संसाधन/ सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभा/ पंचायत एवं ग्रामीण विकास/ स्कूल शिक्षा की ओर ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. संभागायुक्त संभाग चम्बल, रीवा, शहडोल, नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन एवं जबलपुर म.प्र. की ओर सूचनार्थ।

मलय 18/11/2022

अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मध्यप्रदेश पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम, 2022

विशेष ग्राम सभाओं (दिनांक 20 नवम्बर 2022 से 03 दिसम्बर 2022 तक) का

अनुश्रवण - पत्रक

क्र.	जिला	जनपद पंचायत	ग्राम सभाओं की कुल संख्या	दिनांकवार आयोजित ग्राम सभाओं की संख्या														कुल आयोजित ग्राम सभाएं	रिमार्क
				नवम्बर 2022											दिसम्बर 2022				
				20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

दिनांक :- 18/11/22

हस्ताक्षर/नाम

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जिला पंचायत